संख्या-15/2025/1/860637/2025/71-1002/18/2023 पार्ट-3

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 24 जनवरी, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर के आकस्मिक विभाग में पूर्व से स्थापित वातानूकूलन सिस्टम के स्थान पर नये वातानुकूलन सिस्टम की स्थापना कार्य हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में **शुद्धि पत्र।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-158/2024/1/816744 /2024/71-1002/18/2023 पार्ट-3 दिनांक 10.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा **लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर के आकस्मिक विभाग में पूर्व से स्थापित वातानूकूलन सिस्टम के स्थान पर नये वातानुकूलन सिस्टम की स्थापना कार्य** हेतु तकनीकी समिति द्वारा आकलित लागत रू0 398.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-72-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष परियोजना की प्रथम किश्त के रूप रू0 321.43 लाख (रुपये तीन करोड़ इक्कीस लाख तिरालिस हजार मात्र) की धनराशि निर्गत की गयी है।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 10.12.2024 के प्रस्तर-2 में तकनीकी समिति द्वारा आकलित लागत रू0 498.06 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0 398.06 लाख अंकित हो गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया **उक्त शासनादेश** दिनांक 10.12.2024 के प्रस्तर-2 **में लाला लाजपत राय चिकित्सालय कानपुर के आकस्मिक विभाग में पूर्व से स्थापित वातानूकूलन सिस्टम के स्थान पर नये वातानुकूलन सिस्टम की स्थापना कार्य** हेतु **तकनीकी समिति द्वारा आकलित लागत रू0 498.06 लाख पढ़ा व समझा जाए।**

4- शासनादेश संख्या-158/2024/1/816744/2024/71-1002/18/2023 पार्ट-3 दिनांक 10.12.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या व तद्दिनांक-उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।